

अनुदान संख्या 101 – युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
GRANT No. 101 - MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत—
		Total	Actual	Saving -
		grant	expenditure	(हजार रुपयों में)
		(In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	2775,90,00		
		2775,94,00	1787,83,02	-988,10,98
पूरक	Supplementary	4,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			979,42,86
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	51,02,00		
		51,03,00	..	-51,03,00
पूरक	Supplementary	1,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			51,03,00

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः—

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत—
		Total	Actual	Saving -
		grant	expenditure	(लाख रुपयों में)
		(In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2204"	Major Head "2204"			
खेलकूद और युवा सेवाएं	Sports and Youth Services			
मू.	O.	250797.00		
पू.	S.	2.00	176716.42	175848.31
पु.	R.	-74082.58		-868.11
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	23493.00		
पू.	S.	2.00		
पु.	R.	-23495.00

(I) ₹24170.00 लाख का प्रावधान (सितम्बर, 2020 और फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) उन्नीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹22585.80 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(का) "खेलकूद और युवा सेवाएं - निदेशन और प्रशासन - नेहरू युवा केंद्र संगठन" - ₹1800.00 लाख;

(खा) "खेलकूद और युवा सेवाएं - छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम" -

(क) "राष्ट्रीय सेवा स्कीम" - ₹1026.50 लाख;

(ख) "राष्ट्रीय युवा कोर" - ₹900.00 लाख;

(गा) "खेलकूद और युवा सेवाएं - खेलकूद और खेल" -

(क) "भारतीय खेल प्राधिकरण" - ₹5001.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ख) "लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान" - ₹801.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ग) "पूर्वोत्तर में खेलकूद विश्वविद्यालय" - ₹950.00 लाख;

(घ) "खेलों इंडिया" - ₹7132.00 लाख;

(घा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" -

(क) "अनुसूचित जातियों के विकास के लिए स्कीम" - ₹2151.70 लाख;

(I) Provision of ₹24170.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs obtained in September, 2020 and February, 2021) remained wholly unutilized under nineteen heads; of these ₹22585.80 lakhs accounted for under Major Head "2552" under the following heads :-

(A) "Sports and Youth Services - Direction and Administration - Nehru Yuva Kendra Sangathan" - ₹1800.00 lakhs;

(B) "Sports and Youth Services - Youth Welfare programme for Students" -

(a) "National Service Scheme" - ₹1026.50 lakhs;

(b) "National Youth Corps" - ₹900.00 lakhs;

(C) "Sports and Youth Services - Sports and Games" -

(a) "Sports Authority of India" - ₹5001.00 lakh (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(b) "Laxmibai National Institute of Physical Education" - ₹801.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(c) "Sports University in North East" - ₹950.00 lakhs;

(d) "Khelo India" - ₹7132.00 lakhs;

(D) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(a) "Scheme for the Development of Scheduled Castes" - ₹2151.70 lakhs;

- (ख) “स्वायत्त निकायों को अनुदान” – ₹1220.00 लाख; (b) “Grants to Autonomous Bodies” - ₹1220.00 lakhs;
- (ड.) “जन-जातीय क्षेत्र उप योजना” – (E) “Tribal Area Sub-Plan” -
- (क) “संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के अंतर्गत अनुदान” – ₹943.60 लाख; और (a) “Grants under Provision to Article 275(1) of the Constitution” - ₹943.60 lakhs; and
- (ख) “स्वायत्त निकायों को अनुदान” – ₹660.00 लाख। (b) “Grants to Autonomous Bodies” - ₹660.00 lakhs.

उपर्युक्त ग्यारह शीर्षों के अन्तर्गत प्रावधान पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यार्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above eleven heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष “2204” के अन्तर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head “2204” - savings occurred under the following heads:-

(का) “छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम” –

(A) “Youth Welfare Programmes for Students” -

(क) “राष्ट्रीय युवा एवं किशोर विकास कार्यक्रम” – ₹562.01 लाख की बचत (₹1490.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्चुअली राष्ट्रीय युवा समारोह का आयोजन होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(a) “National Programme for Youth and Adolescent Development” - saving of ₹562.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1490.00 lakhs) was due to conduction of National Youth festival virtually and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ख) “एनएसएस के कार्यान्वयन के लिए अनुदान” – ₹4341.77 लाख की बचत (₹9145.58 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यक्रमों/सेमिनारों का आयोजन न होने, पहली दो तिमाही में व्यय प्रतिबंध होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(b) “Grants for Implementation of NSS” - saving of ₹4341.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9145.58 lakhs) was due to non-conduction of programs/seminars, restriction of expenditure in the first two quarters and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) “गैर-छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम” –

(B) “Youth Welfare Programmes for Non-Students” -

(क) “युवा छात्रावास” – ₹1609.83 लाख की बचत (₹1799.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड-19 महामारी की वजह से पहली दो तिमाहियों के दौरान व्यय सीमा पर प्रतिबंध होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) “राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान” – ₹692.10 लाख की बचत (फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹2355.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ग) “राष्ट्रीय युवा कोर” – ₹1440.00 लाख की बचत (₹5830.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत गतिविधियों का आयोजन न होने जैसे प्रत्यक्ष कक्षाओं, जागरूकता गतिविधियों, सेमिनार, कोविड-19 महामारी की वजह से पहली दो तिमाहियों में व्यय सीमा पर प्रतिबंध होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती होने के कारण हुई।

(घ) “युवा नेता कार्यक्रम” – ₹1203.61 लाख की बचत (₹1425.30 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय युवा संसद समारोह का आयोजन वर्चुअल मोड में होने, कोविड-19 महामारी की वजह से पहले दो तिमाहियों में व्यय सीमा पर प्रतिबंध होने के कारण और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(गा) “खेलकूद और खेल” –

(क) “राष्ट्रीय खेलकूद विकास निधि” – ₹4277.00 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सरकार द्वारा जारी समतुल्य अंशदान के कारण कम सार्वजनिक अंशदान की

(a) “Youth Hostel” - saving of ₹1609.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1799.00 lakhs) was due to restriction of expenditure ceiling in the first two quarters owing to COVID-19 pandemic and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) “Grants to Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development” - saving of ₹692.10 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2355.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh obtained in February, 2021); and

(c) “National Youth Corps” - saving of ₹1440.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5830.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-conduction of activities viz physical classes, awareness activities, seminars, restriction of expenditure ceiling in the first two quarters owing to COVID-19 pandemic and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(d) “Young Leader Programme” - saving of ₹1203.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1425.30 lakhs) was due to conduction of National Youth Parliament Festival in virtual mode, restriction of expenditure ceiling in the first two quarters owing to COVID-19 pandemic and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(C) “Sports and Games” -

(a) “National Sports Development Fund” - saving of ₹4277.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to receipt of less public contribution

प्राप्ति कम होने के कारण हुई।

(ख) “खेलकूद उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए सहायता” – ₹9679.77 लाख की बचत (₹18750.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्धारित कोचिंग कैंप, प्रशिक्षण, आयोजन/खेल के रद्द/स्थगन किए जाने, कोविड-19 महामारी की वजह से पहली दो तिमाहियों में व्यय पर प्रतिबंध होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ग) “खिलाड़ियों को प्रोत्साहन” – ₹3879.05 लाख की बचत (₹6800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुरस्कारों के लिए कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने, कोविड-19 महामारी की वजह से पहले दो तिमाहियों में व्यय सीमा पर प्रतिबंध होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(घ) “जम्मू और कश्मीर में खेलकूद सुविधा में वृद्धि” – ₹2500.00 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड-19 महामारी की वजह से पहली दो तिमाहियों में व्यय सीमा पर प्रतिबंध होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ङ) “खेलो इंडिया” – ₹34180.10 लाख की बचत (₹59472.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव की प्राप्ति होने, कोविड-19 महामारी की वजह से पहली दो तिमाहियों में व्यय सीमा पर प्रतिबंध होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

as Governments release matching contribution.

(b) “Assistance to Promotion of Sports Excellence” - saving of ₹9679.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18750.00 lakhs) was due to cancellation/postponement of scheduled coaching camps, trainings, events/games, restriction of expenditure ceiling in the first two quarters owing to COVID-19 pandemic and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(c) “Incentive to Sports Persons” - saving of ₹3879.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6800.00 lakhs) was due to receipt of less proposals for awards, restriction of expenditure ceiling in the first two quarters owing to COVID-19 pandemic and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(d) “Enhancement of Sports Facility at J&K” - saving of ₹2500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to restriction of expenditure ceiling in the first two quarters owing to COVID-19 pandemic and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(e) “Khelo India” - saving of ₹34180.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹59472.00 lakhs) was due to receipt of less proposal from the State Governments, restriction of expenditure in the first two quarters owing to COVID-19 pandemic and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

- (च) “राष्ट्रीय खेल विज्ञान तथा अनुसंधान केन्द्र” – ₹6931.02 लाख की बचत (₹7400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से प्रस्तावों की प्राप्ति कम होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।
- (घ) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” –
- (क) “खेलकूद तथा युवा सेवाएं – निदेशन और प्रशासन” – ₹2159.00 लाख की बचत (₹4200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और
- (ख) “खेलकूद और युवा सेवाएं – छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम” – ₹1759.74 लाख (₹3696.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।
- बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कार्यक्रमों/सेमिनारों का आयोजन न होने, पहले दो तिमाहियों में व्यय सीमा पर प्रतिबंध होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।
- (ग) “खेलकूद और युवा सेवाएं – खेलकूद और खेल” – ₹8821.03 लाख की बचत (फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹25599.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड-19 महामारी की वजह से कार्यकलापों जैसे खेलकूद प्रतियोगिता, प्रशिक्षण, कैम्प, कोचिंग और दौड़ों का आयोजन न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती होने के कारण हुई।
- (ङ) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना” –
- (f) “National Centre of Sports Science and Research”- saving of ₹6931.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7400.00 lakhs) was due to less receipt of proposals from implementing agencies and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.
- (D) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -
- (a) “Sports and Youth Services - Direction and Administration” - saving of ₹2159.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4200.00 lakhs); and
- (b) “Sports and Youth Services - Youth Welfare Programme for Students” - ₹1759.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3696.00 lakhs).
- Savings under the above two heads were due to non-conduction of programs/seminars, restriction of expenditure in the first two quarters and reduction of provision at revised estimate stage by the Ministry of Finance.
- (c) “Sports and Youth Services - Sports and Games” - saving of ₹8821.03 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹25599.10 lakhs including token supplementary grants of ₹0.10 lakh obtained in February, 2021) was due to non-conduction of activities viz tournaments, trainings, camps, coaching and tours owing to COVID-19 pandemic and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.
- (E) “Tribal Area Sub-Plan” -

(क) “अन्य स्कीमें” – ₹1092.00 लाख की बचत (₹2200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ख) “खेलकूद और युवा सेवाएं – छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम” – ₹835.77 लाख की बचत (₹2081.12 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कार्यक्रमों/सेमिनारों का आयोजन न होने, पहले दो तिमाहियों में व्यय सीमा पर प्रतिबंध होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ग) “खेलकूद और युवा सेवाएं – खेलकूद और खेल” – ₹4631.90 लाख की बचत (फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹13287.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) खेलकूद गतिविधियों का आयोजन न होने जैसे खेलकूद प्रतियोगिताएं, प्रशिक्षण, कैम्प, कोचिंग, दौरे, कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती होने के कारण हुई।

(घ) “अंतर्राष्ट्रीय सहयोग” –

(क) “अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा प्रतिनिधिमंडल का आदान-प्रदान” – ₹1379.79 लाख की बचत (₹1380.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड-19 महामारी की वजह से प्रत्यक्ष युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम का आयोजन न होने के कारण हुई।

(ख) “एनवाईकेएस और एनएसएस सुदृढीकरण के लिए यूएनवी परियोजना – बाह्य रूप से सहायता प्राप्त घटक” – ₹950.00 लाख की बचत (₹1450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए तौर-तरीके के तहत सीएएए को निधियों जारी न किए जाने और परियोजना के चरण-II के कार्यान्वयन के लिए कम निधियों की आवश्यकता हाने के कारण हुई।

(a) “Other Schemes” - saving of ₹1092.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2200.00 lakhs); and

(b) “Sports and Youth Services - Youth Welfare Programs for Students” - saving of ₹835.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2081.12 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-conduction of programs/seminars, restriction of expenditure in the first two quarters and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(c) “Sports and Youth Services - Sports and Games” - saving of ₹4631.90 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹13287.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh obtained in February, 2021) was due to non-conduction of sports activities viz tournaments, trainings, camps, coaching, tours, receipt of less proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(F) “International Co-operation” -

(a) “Exchange of Delegation of Youth at International Level” - saving of ₹1379.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1380.00 lakhs) was due to non conduction of physical Youth Exchange Program owing to COVID-19 pandemic.

(b) “UNV Project for strengthening NYKS and NSS-Externally aided component” - saving of ₹950.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1450.00 lakhs) was due to non-release of funds to CAAA as per new modalities and requirement of less funds for implementation of phase-II of the Project.

(III) सात शीर्षों के अंतर्गत ₹2440.63 लाख की बचतें हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परन्तु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान की 11 प्रतिशत से 91 प्रतिशत थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹20138.40 लाख) प्रयुक्त हो गई जैसाकि फरवरी, 2021 में मुख्य शीर्ष "2204" के अन्तर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) "निदेशन और प्रशासन - नेहरू युवा केन्द्र संगठन" - ₹3025.90 लाख।

(खा) "खेलकूद और खेल" -

(क) "भारतीय खेल प्राधिकरण" - ₹15620.80 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹15295.73 लाख था।

(ख) "पुरस्कार" - ₹394.90 लाख।

(ग) "राष्ट्रीय डोप जांच प्रयोगशाला" - ₹1096.80 लाख।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2204" - "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - वाडा (वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी) को अंशदान - डोप टेस्ट स्कीम के अंतर्गत" अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई - ₹691.25 लाख का अधिक व्यय (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के विशेष कार्यक्रम से संबंधित अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अन्तर्गत ₹275.25 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो स्वीकृत प्रावधान का 551 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत हुईं।

(III) Under seven heads savings of ₹2440.63 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 11 percent to 91 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹20138.40 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grants of ₹2.00 lakhs in February, 2021 under Major Head "2204" - under the following heads:-

(A) "Direction and Administration - Nehru Yuva Kendra Sangathan" - ₹3025.90 lakhs.

(B) "Sports and Games" -

(a) "Sports Authority of India" - ₹15620.80 lakhs. Actual excess, however, was ₹15295.73 lakhs.

(b) "Awards" - ₹394.90 lakhs.

(c) "National Dope Test Laboratory" - ₹1096.80 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2204" - "International Co-operation - Contribution to WADA (World Anti Doping Agency) - Under the Scheme of Dope Test" - excess of ₹691.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards special programme of World Anti Doping Agency.

(III) Under one head excess of ₹275.25 lakhs occurred, constituting 551 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “4202”	Major Head “4202”			
शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Education, Sports, Arts and Culture			
मू.	O.	601.00		
पू.	S.	1.00
पु.	R.	-602.00		
मुख्य शीर्ष “4552”	Major Head “4552”			
पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas			
मू.	O.	4501.00		
पु.	R.	-4501.00

(I) ₹5103.00 लाख का प्रावधान (फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) चार शीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹5100.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए।

(का) मुख्य शीर्ष “4202” – “खेलकूद और युवा सेवाएं – खेल स्टेडियम – राष्ट्रीय खेल संस्थान” – ₹600.00 लाख; और

(खा) मुख्य शीर्ष “4552” – “शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय – पूर्वोत्तर में खेल विश्वविद्यालय” – ₹4500.00 लाख।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कोविड-19 महामारी की वजह से निर्माण कार्यों को मंजूरी न मिलने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of ₹5103.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in February, 2021) remained wholly unutilized under four heads; of these ₹5100.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head “4202” - “Sports and Youth Services - Sports Stadia - National Institute of Sports” - ₹600.00 lakhs; and

(B) Major Head “4552” - “Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture - Other Expenditure - Sports University in North East” - ₹4500.00 lakhs.

Savings under the above two heads were due to non-sanctioning of construction works owing to COVID-19 pandemic and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

